[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 30/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 सितंबर, 2017

सा.का.नि. ……….. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सा.का.नि. सं0 1129(अ), तारीख 5 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 29/2017-केंद्रीय कर, तारीख 5 सितंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, जुलाई, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, कराधेय व्यक्तियों या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	**ब्यौरे/विवरणी**	**कराधेय/रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग**	**ब्यौरे/विवरणी देने की समयावधि**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	जी.एस.टी.आर.-1	जिसका आवर्त एक अरब रुपए से अधिक है	3 अक्तूबर, 2017 तक
		जिसका आवर्त एक अरब रुपए तक है	10 अक्तूबर, 2017 तक
2.	जी.एस.टी.आर.-2	सभी	31 अक्तूबर, 2017 तक
3.	जी.एस.टी.आर.-3	सभी	10 नवंबर, 2017 तक

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "आवर्त" पद का वही अर्थ है, जो उसका पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (112) में है ।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार